



सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा
नए समाहरणालय भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल्ला
दूरभाष: 06525-225835 फ़ैक्स: 225836
E-mail:- ssasimdega@yahoo.co.in

पत्रांक : 314 (सिमडेगा)
प्रेषक,

दिनांक: 01/4/2026

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा।

सेवा में,

प्रखण्ड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी, सिमडेगा, ठेटईटांगर, कोलेबिरा एवं पाकरटाड़।
सभी प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, सिमडेगा, ठेटईटांगर, कोलेबिरा एवं पाकरटाड़।
संबंधित प्रखण्ड साधन सेवी/संकुल साधन सेवी,
जिला:-सिमडेगा।


विषय:- नि: शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा RTE की धारा 12 (I)(C) अंतर्गत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालयों को छोड़कर) की प्रवेश कक्षा में 25 प्रतिशत सीट के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 में नामांकन के संबंध में।

प्रसंग:- राज्य परियोजना निदेशक, झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद्, राँची के पत्रांक 397 दिनांक 23.02.2022 महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में कहना है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1) (सी.) के अन्तर्गत जिले के सभी गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों (अल्पसंख्यक विद्यालय को छोड़कर) को सत्र 2026-27 में निम्न प्रावधानों के अनुरूप 25% सीट पर नामांकन किया जाना है :-

1. सत्र 2026-27 में विद्यालय की प्रवेश कक्षा में विद्यालय की नामांकन क्षमता के 25% सीट पर अभिवंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का नामांकन किया जाना है।
2. वैसे बच्चे जो विद्यालय के 1 कि.मी. की दूरी सीमा के अधीन निवास करते हों, का नामांकन किया जाना है। यदि इस दूरी सीमा में पर्याप्त बच्चे उपलब्ध नहीं होते हैं तो 3 से 6 कि.मी. की दूरी सीमा में निवास करने वाले बच्चों का नामांकन लिया जा सकता है।
3. अभिवंचित समूह में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समुदाय, 40 प्रतिशत से अधिक नि:शक्ततायुक्त एवं अनाथ बच्चे तथा कमजोर वर्ग के अन्तर्गत जो अभिवंचित समूह में नहीं आते हों और जिनके परिवार की सभी स्रोतों से वार्षिक आय रु0 72000/-से कम हो, का नामांकन किया जाना है।
4. नर्सरी/एलकेजी में नामांकन हेतु उम्र सीमा 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच एवं कक्षा 1 में नामांकन हेतु 6 वर्ष से 7 वर्ष के बीच होगी। उम्र की गणना का Cut Off तिथि 31 मार्च 2026 होगा।
5. 25% कोटि में नामांकन हेतु कार्यालय के वेबसाइट jepsimdega.in पर ऑनलाइन आवेदन दिनांक 20.04.2026 तक भरा जायेगा एवं माता-पिता/अभिभावक भरे गए आवेदन का प्रिंट निकालकर सभी दस्तावेजों को संलग्न एवं स्वअभिप्रमाणित करते हुए संबंधित विद्यालय में दिनांक 24.04.2026 तक अनिवार्य रूप से जमा करेंगे। कोई भी गलत प्रमाण पत्र संलग्न किए जाने की सम्पूर्ण जवाबदेही संबंधित माता-पिता/पालक/अभिभावक की होगी। माता-पिता/अभिभावकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आवेदन एवं अभिलेखों/प्रमाणपत्रों की समुचित जाँचोंपरांत तथा नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12 (1)(सी.) के प्रावधानों के अनुरूप योग्य बच्चों का नामांकन संबंधित विद्यालय में लिया जायेगा। नामांकन हेतु योग्यता एवं आवेदन करने संबंधी विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर उपलब्ध है।
6. जिले में गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय जहाँ 25% सीट पर बच्चों का नामांकन लिया जाना है, की विवरणी निम्नवत् है :-

क्र० सं०	विद्यालय का नाम, पता	विद्यालय की प्रवेश कक्षा, जिस पर नामांकन लिया जायेगा।	प्रवेश कक्षा में कुल नामांकन क्षमता	कुल नामांकन क्षमता का 25 प्रतिशत संख्या
1	डी०ए०भी० पब्लिक स्कूल, सिमडेगा।	LKG	30	7
2	सरस्वती शिशु विद्या मंदिर सलडेगा, सिमडेगा।	LKG	100	25
3	रामरेखाधाम सरस्वती शिशु विद्या मंदिर उच्च विद्यालय सरखुटोली, सिमडेगा।	1	40	10
4	संत जोन्स स्कूल इंग्लिश मीडियम फरसाबेड़ा, सिमडेगा।	1	30	8
5	हिल-व्यू पब्लिक स्कूल, सिमडेगा।	LKG	60	15
6	संत मेरिज इंग्लिश मिडियम स्कूल, सामटोली, सिमडेगा।	1	90	22
7	उर्सुलाईल प्राथमिक विद्यालय, जामपानी, ठेटईटांगर	LKG	50	12
8	संत उर्सुला प्राथमिक विद्यालय, गरजा	LKG	40	10
9	डॉन बोस्को स्कूल, जामटोली	LKG	40	10
कुल			480	119



झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा
नए समाहरणालय भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल्ला
दूरभाष: 06525-225835 फ़ैक्स: 225836
E-mail:- ssasimdega@yahoo.co.in

पत्रांक :

दिनांक:

अतः निदेश दिया जाता है कि आप सभी अपने प्रखण्डाधीन पोषक क्षेत्रों में सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए उपरोक्त अंकित निजी विद्यालयों में रिक्त सीट के विरुद्ध अहर्ताधारी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन सुनिश्चित कराने में अपेक्षित सहयोग करें।

विश्वासभाजन

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा

ज्ञापांक 314 (सि/ए) सिमडेगा / दिनांक 01/4/2026

प्रतिलिपि:-संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। निदेश है कि रिक्त सीट के विरुद्ध अहर्ताधारी बच्चों का शत-प्रतिशत नामांकन कराना सुनिश्चित करेंगे।

01/4/26

जिला शिक्षा अधीक्षक-सह-
अपर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
झारखण्ड शिक्षा परियोजना, सिमडेगा